



2026:AHC:17627

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1062/2026

जयप्रकाश

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक दुबे, सुदर्शन सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन सिंह के प्राधिकार के तहत श्री अनुराग पांडेय और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक जयप्रकाश की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या- 16/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना नौगढ़, जिला चंदौली में पंजीकृत प्रकरण में, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के 08 मामलों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (बी) में वर्णित किसी भी गिरोह की गतिविधियों में दुष्प्रेरण या सहयोग नहीं किया है।

आवेदक का उपरोक्त मामले के अलावा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके साथ ही यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 10.03.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबित संख्या के कारण, विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अलावा आवेदक के विरुद्ध किसी अन्य मामले का उल्लेख नहीं किया है।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करते हुए, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

आवेदक, **जयप्रकाश** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें भयभीत करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले के आरंभ, (ii) आरोप तय होने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्षियों की उपस्थिति के दौरान साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (v) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

27 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।